झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–253 / 2019

1. जनता मजदूर संघ
2. हरिहर राजभर .... याचिकाकर्त्ता गण

बनाम्

1. भारत संघ का प्रतिनिधित्व सचिव, कोयला विभाग, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।
2. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
3. मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
4. दुग्धा कोल वाशरी, दुग्धा, जिला–बोकारो।
5. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जिसका कार्यालय कोयला नगर, जिला–धनबाद में है।
6. मेसर्स सूर्या उद्योग, दुग्धा कोल वाशरी, झरिया, जिला–धनबाद।

.... विपक्षी गण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए : श्री महेश तिवारी, अधिवक्ता

विपक्षी गण के लिए : श्री अनूप कु0 मेहता, अधिवक्ता
श्री अमित कु0 सिन्हा, अधिवक्ता
श्रीमती लीना मुखर्जी, अधिवक्ता
श्री अक्षांश किशोर, अधिवक्ता

05 / 14.02.2020 पक्षकारों के वकील को सुना।

यह सिविल विविध याचिका सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–384 / 1997 (आर0) को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने हेतु दायर की गई है, जिसे याचिकाकर्त्ताओं की ओर से पैरवी नहीं

रहने के कारण दिनांक 21.02.2019 को खारिज कर दिया गया है। इस याचिका के पैरा–7 में इसका कारण बताया गया है।

विपरीत पक्षों के वकील को कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

इस याचिका के पैरा–7 में उल्लिखित कारण के मद्देनजर, सिविल विविध याचिका जो सी0एम0पी0 सं0–253/2019 है, की एतद्द्वारा अनुमति दी गई है और सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–384/1997 (आर0) को एतद्द्वारा इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(राजेश कुमार, न्याया0)